

सहायक कलक्टर माण्डल

2-5-22 उभय पक्ष उपस्थित पौजारी अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अग्रकाश पर है / पसरित है।
मतः पत्रावली दिनांक 2.7.22 को भेजा है।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

5-7-22 उभय पक्ष उपस्थित पौजारी अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अग्रकाश पर है / पसरित है।
मतः पत्रावली दिनांक 2.9.22 को भेजा है।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29-11-22 उभय पक्ष उपस्थित पौजारी अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अग्रकाश पर है / पसरित है।
मतः पत्रावली दिनांक 2.7.12.22 को भेजा है।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

27-12-22 पत्रावली पेश हुई, वकील प्राप्ति उपस्थित, विपक्षीयों के सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शाह पर किये गये। विपक्षीयों को कितनी बार अक-शक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। इसके विकल्प एक तरफ कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्राप्ति का प्राप्ति स्वीकार किया जाकर निर्णय सुपक से लिया जाकर शाह पर किया गया। पत्रावली फैलण शुभार होकर अन्तर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

न अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

संख्या- 106/22 प्रा/कसग

1. के.भा.डा. ज. री. ता. रा. ग. भी. नि. नि. नि. नारायणपुरा लाल गि. ए. र. 2. भारत सोप फेडी
मिलेस ओड भीलवाड़ा तहसील - भीलवाड़ा

-प्रार्थी

बनाम

श्री मे.ता. ग. म. डा. 30 गो. हा. क. री. नि. नि. नि. नारायणपुरा तहसील - माण्डल
श्री गो. पा. ल. डा. 30 गो. हा. क. री. नि. नि. नि. नारायणपुरा तहसील - माण्डल
श्री गो. पा. ल. डा. 30 गो. हा. क. री. नि. नि. नि. नारायणपुरा तहसील - माण्डल
श्री गो. पा. ल. डा. 30 गो. हा. क. री. नि. नि. नि. नारायणपुरा तहसील - माण्डल

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक - 27.12.22

::आदेश::

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम नारायणपुरा पटवार हल्का नारायणपुरा तहसील माण्डल में उसके /संयुक्त खाते की आराजी नं. 4.958/4060 कुल कित्ता 01 रकबा 0.0379 यर स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की रगडी के आदेश प्रदान कराये जावें।

त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02.05.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को लोकनार्थ से यह वात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगडी कराने का कारी हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम नारायणपुरा पटवार हल्का नारायणपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 4.958/4060 कुल कित्ता 01 रकबा 0.0379 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगडी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगडी किये जाने हेतु भू-अभिलेख नैरीक्षक नारायणपुरा को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगडी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगडी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल मण्डल भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगडी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल मण्डल भीलवाड़ा